

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2016—अग्रहायण 3, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-22-142-2004-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-22-142-2004-आठ, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-142-2004-आठ, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, निर्देश में, सारणी में, टिप्पण (3) के पश्चात् अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

4. "समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.

Bhopal, Dated 27th October 2016

No. F-22-142-2004-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) of sub-section (1) of said section and in partial supersession of this Department's Notification No. F-22-142-2004-VIII, dated 22nd April, 2015, the State Government, hereby, makes the following amendment in this department Notification No. F-22-142-2004-VIII, dated 22nd April, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Directions, in the table., after Note (3), the following Note shall be added, namely:—

- "(4) 50 percent discount shall be applied on the rental charge to the differently abled persons in all stage bus services, if they present the certificate issued by the competent Authority".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJEEV DUBEY, Addl. Secy.